संख्या- 11/2016/3880 /33-2-16-11सी.एम./2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2016

विषय:-त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रदत्त मानदेय में वृद्धि किया जाने।

महोदय,

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से त्रि-स्तरीय पंचायतों को समय-समय पर शक्तियां एवं दायित्व सौपें गये है, जिसके कारण उनके कार्यो में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं। पदाधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि के कारण पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर उनको देय मानदेय में वृद्धि करने का अनुरोध किया जाता रहा हैं।

2- उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रि-स्तरीय पंचायत में ब्लाक प्रमुखों एवं जिला पंचायत, अध्यक्षों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान शासनादेश संख्या-02/33-2-2014-34जी/2001टी.सी.-II, दिनांक 07 जनवरी, 2014 द्वारा अनुमन्य मानदेय एवं भत्ते, जैसा कि नीचे कालम-2 में उल्लिखित हैं, के स्थान पर अब कालम-3 के अनुसार उनके मानदेय में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	वर्तमान में शासनादेश संख्या-1113/33-2-2006-34जी/2001टी.सी.-II, दिनांक 20.03.2006 शासनादेश संख्या-6368/33-2-2006-34जी/2001टी.सी.-II, दिनांक 26.12.2006 एवं शासनादेश संख्या-02/33-2-2014-34जी/2001 टी.सी.-II, दिनांक 07 जनवरी, 2014 द्वारा अनुमन्य मानदेय एवं भत्ते की दरें:-	अब प्रतिस्थापित मानदेय एवं भत्ते की दरें:-
1	2	3
1	क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को रू0 7000.00 प्रतिमाह की दर से अनुमन्य मानदेय।	क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का रू0 9800.00 प्रति माह की दर से मानदेय अनुमन्य होगा।
2	जिला पंचायत के अध्यक्ष को रू0 10,000.00 प्रति माह की दर से अनुमन्य निश्चित यात्रा भत्ता/मानदेय।	जिला पंचायत के अध्यक्ष को रू0 14,000.00 प्रतिमाह की दर से निश्चित मानदेय अनुमन्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार प्रस्तावित वृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मदों पर व्यय होने वाली धनराशि क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें क्रमशः अपनी क्षेत्र निधि एवं जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेंगी तथा इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

4- यह बढ़े हुए दर पर मानदेय दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से देय होगा और इसका प्रथम भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2017 से होगा।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
5- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
6- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
9- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0प्र0।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
12- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
13- पंचायतीराज अनुभाग-1 एवं 3 ।
14- गोपन अनुभाग-1 ।
15- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या - 3/2016/3038 / 33-1-2016-175 एम0एस0/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0 ।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग-1

लखनऊ - दिनांक 22 नवम्बर, 2016

विषय: त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को प्रदत्त मानदेय में वृद्धि किया जाना ।

महोदय,

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायतों को समय-समय पर शक्तियां एवं दायित्व सौंपे गये हैं, जिसके कारण उनके कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पदाधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि के कारण पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर उनको देय मानदेय तथा अधिकारों में वृद्धि करने का अनुरोध किया जाता रहा है ।

2- उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम प्रधानों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित के अनुसार ग्राम प्रधानों के मानदेय एवं अधिकारों में वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(अ) ग्राम प्रधानों का मानदेय रू0-2500/-(रूपया दो हजार पांच सौ मात्र) से बढाकर रू0-3500/-(रूपया तीन हजार पांच सौ मात्र) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(ब) मनरेगा के अनुरूप केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत लिये गये निर्णयानुसार रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) तक के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को तथा वार्षिक कार्य, योजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(स) यात्रा एवं आनुसांगिक व्यय के नाम पर खर्च के लिए अनुमन्य रू0-5000/-(रू0-पांच हजार मात्र) को बढाकर अधिकतम रू0-15,000/- (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिवर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(द) ग्राम प्रधानों को आकस्मिक खर्च के रूप में रू0 1000/- (रूपया एक हजार मात्र) के स्थान पर रू0 5000/- (रूपया पाच हजार मात्र) अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार प्रस्तावित वृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त मदों पर व्यय होने वाली धनराशि ग्राम पंचायतें, अपनी ग्राम निधि में जमा धनराशि जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन किया जायेगा तथा इसके लिये पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

..... 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त प्रस्तर-2 एवं 3 के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों/शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 3038(1)/33-1-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
3-प्रमुख सचिव, वित्त/ग्राम्य विकास/बेसिक शिक्षा/राजस्व विभाग,उ0प्र0 शासन।
4-आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6-सलाहकार, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन ।
7-समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश ।
8-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2776/33-3-2015-03/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर, 2015

विषयः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं निर्मित बाल मैत्रिक शौचालयों के रख-रखाव के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि पूर्व के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बाल मैत्रिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं बाल मैत्रिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं होने के कारण निर्मित केन्द्रों एवं बाल मैत्रिक शौचालयों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, परिणाम स्वरूप उसकी वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उक्त हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि से उनके अनुरक्षण की व्यवस्था किया जाय।

3306

उप निदेशक (पं0)(प्रशा0)

2- पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015' दिनांक 19 जून, 2015 एवं शासनादेश संख्याः 1638/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 के पैरा-4 में यह व्यवस्था की गयी है कि "ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रख रखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से संबंधित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अद्यावधिक किया जायेगा तथा अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों यथा-पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव करने में सक्षम होंगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेंगे।"

निदेशक

(एस0 एन0 सिंह)

उपनिदेशक

पंचायती राज, उ0प्र0

Jaigovind Pandey

कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जावेगा।

7. जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रू0 10.00 लाख की लागत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप में अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय तथा निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 1828/33-3-2015-03/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 21 जून, 2015

विषयः पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015, दिनांक-19.06.2015 मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-566/33-2-14-93जी/ 2014 टी0सी0, दिनांक 24 जून, 2014 एवं शासनादेश संख्या-830/33-2-2004-93जी/2004, दिनांक-12.01.2005 निर्गत किये गये थे।

2- उल्लेखनीय है कि 'प्रदेश की जिला पंचायतों एवं अन्य पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे है। प्रायः यह देखने में आता है कि जिला पंचायतों द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते है, जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रपत्रगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते है, जिससे डुप्लीकेसी की सम्भावनाएं बनी रहती है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सब्सीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय।'

विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से पंचायतों द्वारा विकास कार्य सम्पादित किये जाय जो पंचायतीराज अधिनियम-1947 व क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम-1961 के प्रावधानों के अनुरूप हों। अतः त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:-

1. ग्राम पंचायत को जो धनराशि/अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जाय।
2. क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय।
3. जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेंगी।
4. ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख–रखाव को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की न्यूनतम् 50 प्रतिशत धनराशि को ग्राम पचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अध्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण की धनराशि से पचायतें अपनी परिसम्पत्तियों यथा–पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसमपत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा बिना सक्षम अनुमोदन के कोई कार्य नही कराया जायेगा। नये निर्माण कार्यों में सी0सी0 रोड/खड़ंजा/ नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी। आवंटित धनराशि की कार्ययोजना का अनुमोदन निम्नानुसार कराया जायेगा:–

(क) रू0 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना को टुकड़ों मे विभाजित नहीं किया जायेगा।

(ख) रू0 50,001 से रू0 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा किया जायेगा।

(ग) रू0 250001 से रू0 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(घ) रू0 500001 से ऊपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा

परन्तु प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(पं0) कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं0) की होगी।

5. बिन्दु–4 के उप बिन्दु ग एवं घ से सम्बन्धित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।
6. क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशुचिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन का अनुमोदन एवं

3— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व के वर्षों में निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं निर्मित बाल मैत्रिक शौचालयों का मरम्मत कराना सुनिश्चित कराया जाए तथा नये निर्मित कराये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में निर्धारित ग्राम पंचायत अंश चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध धनराशि से दिया जा सकता है।

भवदीय

(चन्चल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,

संख्याः 5/ /1/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (मं0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव,

Jaigovind Pandey